ग्राम पंचायत चन्हौता, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 04/2022 से 03/2024

भाग-एक

1 प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफ़ारिशों के फ़लस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम-1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप-सचिव पंचायती राज विभाग के संशोधन पत्र संख्या पीसीएच-एचसी(5)-सी(15)एलएडी/2006-12669 दिनांक-07-04-2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व हिमाचल प्रदेश, राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत चन्हौता, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखों का अंकेक्षण कार्य विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024 तक के दौरान ग्राम पंचायत चन्हौता में निम्नलिखित प्रधान एवं सचिव कार्यरत रहे :-

प्रधान

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम	अवधि
1.	श्री रोहित कुमार	01-04-2022 से 31-03-2024

सचिव

क्रम संख्या	सचिव का नाम	अवधि
1.	श्री भिंदर कुमार	01-04-2022 से 31-03-2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार

ग्राम पंचायत चन्हौता, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है, जोकि उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु विशेष रूप से लाई जाती है।

क्र० स०	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	पैरा संख्या	राशि (₹ लाखों में)
01.	बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने से रोकड़ बहियों व बैंक खातों के अन्तशेष में अन्तर	5.1	2.24
02.	विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की राशि का अवरोधन	6.1	27.00
03.	आपूर्तिकर्ताओं से बिना W, X फॉर्म प्राप्त किये अनियमित भुगतान के कारण सरकार को रॉयल्टी के तौर राजस्व की वित्तीय हानि।	8.2	11.73 0.91
04.	ठेकेदारों/संविदाकारों से टी०डी०एस० की कटौती न करने के कारण सरकारी राजकोष को वित्तीय हानि बारे।	8.4	0.06
05.	औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना स्टॉक/स्टोर का अनियमित क्रय बारे।	9.1	9.85
06.	14वें वित्तायोग से राशि का दुर्विनियोजन	9.2	0.30
07.	निर्माण कार्य के दौरान शेष बची सामग्री का दुरूपयोग एवं माप पुस्तिकाओं में अन्य अनियमितताओं के कारण अधिक भुगतान बारे।	9.3 व 9.4	0.10
08.	बिना मूल्यांकन किये ही निष्पादित निर्माण कार्यों पर अनियमित भुगतान।	9.8	3.49
09	बिना अनुदान के निष्पादित निर्माण कार्यों पर अनियमित व्यय।	9.9	3.35
10	क्रय स्टोर/स्टॉक का इन्द्राज स्टॉक रजिस्टर में न करना एवं संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही अनियमित भुगतान।	9.11 9.12	9.85

(ग) गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा ग्राम पंचायत चन्हौता का अंकेक्षण, अवधि 04/2015 से 03/2018 तक किया गया था जिसमें सम्मिलित अनिर्णीत पैरों के समायोजन बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/2024/02 दिनांक 02-09-2024 एवं बार-बार मौखिक आग्रह उपरान्त कोई भी उत्तर पंचायत द्वारा अंकेक्षण समाप्ति तक नहीं दिया गया। जोकि उचित प्रतीत नहीं होता है। गत अंकेक्षण पैरों पर कोई भी कार्रवाई न करना न केवल

नियमों के प्रतिकूल है, अपितु इससे अंकेक्षण का प्रयोजन ही निष्फल हो जाता है यह गम्भीर प्रकरण उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष तौर से लाया जाता है। विगत अंकेक्षण प्रतिवेदन में शामिल पैरों पर शीघ्र ही कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाये। वर्तमान अंकेक्षण उपरान्त अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरों की स्थिति निम्न प्रकार से है :-

1. अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2015 से 03/2018 तक

क्रम संख्या	पैरा संख्या	पैरा स्थिति	टिप्पणी
1.	3	अनिर्णीत	-
2.	4	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित।
3.	5 (क)	अनिर्णीत	-
4.	5 (ख)	अनिर्णीत	-
5.	6	अनिर्णीत	-
6.	7 (क)	अनिर्णीत	-
7.	7 (ख)	अनिर्णीत	-
8.	8	अनिर्णीत	-
9.	9	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित।
10.	10	अनिर्णीत	-

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत चन्हौता, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री पवन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 02-09-2024 से 07-09-2024 तक ग्राम पंचायत चन्हौता के कार्यालय में किया गया। वर्तमान निधि लेखों की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्न मासों का चयन किया गया। जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	आय चयनित माह	व्यय चयनित माह
1.	2022-2023	03/2023	05/2022
2.	2023-2024	01/2024	12/2023

अस्वीकरण:- वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत चन्हौता, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा के अवधि 04/2022 से 03/2024 तक के लेखों के अंकेक्षण हेतु शुल्क ₹4800/- आँका गया है। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-09 को प्रेषित करने हेतु पंचायत सचिव से अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/2024/14 दिनांक 07-09-2024 द्वारा अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

ग्राम पंचायत चन्हौता द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

4 (अ) स्व:-स्त्रोत व अनुदान:-

ग्राम पंचायत चन्हौता के अवधि 04/2022 से 03/2024 तक स्व:-स्त्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है। जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1 व 2** में भी दिया गया है:

1. स्व:-स्त्रोत

वित्तीय वर्ष	अथ शेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अंतिम शेष (₹)
2022-23	996167.00	1113263.00	2109430.00	465706.00	1643724.00
2023-24	1643724.00	290309.00	1934033.00	1389232.00	544801.00

2. अनुदान

वित्तीय वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2022-23	3043829.00	5007380.02	8051209.02	5540959.02	2510250.00
2023-24	2510250.00	6440444.50	8950694.50	6250848.10	2699846.40

कुल योग (1+2) **₹544801.00 + ₹2699846.40 = ₹3244647.40**

(ब) ग्राम पचांयत चन्हौता, का दिनांक 31/03/2024 को बैंक खातों में अन्तशेष विवरण

क्र० स०	अनुदान का नाम	खाता संख्या	बैंक का नाम	राशि 31-03-2024
1.	15th FC	50100313556372	HDFC Bharmour	**2516251.00**
2.	14th FC	18410104728	HPSCB Garola	**229.00**
3.	PMAAY(G)	99171100000287	HPGB Garola	**381694.00**
4.	13th FC	18410104277	HPSCB Garola	**0.00**
5.	IAY	18410104275	HPSCB Garola	**0.00**
6.	RAY	18410104276	HPSCB Garola	**0.00**
7.	General Head SF/5th SFC LADF/VKVNY/TASP etc.	18410100467	HPSCB Garola	**568538.00**
			Cash In hand	**1695.00**
			TOTAL	**3468407.00**

अन्तर (ब-अ) ₹3468407.00 - ₹3244647.40=₹223759.60

5.1 बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बहियों व बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹2.24 लाख का अन्तर।

अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, ग्राम पंचायत चन्हौता, द्वारा हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **7(3) व 10(1)** की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की है। जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31-03-2024 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹223759.60 का अन्तर रोकड़बही में कम शेष के रूप में है। जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा संख्या 4 में दिया गया है।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-12 दिनांक 06-09-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, भविष्य में बैंक समाधान विवरणी मासिक आधार पर तैयार की जाएगी एवं वर्तमान अंतर का मिलान करके लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करके बैंक एवं रोकड़ बही का मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा वर्तमान में अन्तर का अति शीघ्र मिलान भी किया जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

6.1 विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की राशि ₹27 लाख का अवरोधन।

पंचायत द्वारा **परिशिष्ट 1 व 2** पर अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2024 तक अनुदान से प्राप्त अनुदान राशियों में से ₹2699846.40 की राशि (रोकड़ बही के अनुसार) उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था। जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओ से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। यह अनियमितता सम्बंधित पंचायत के कर्मचारियों व पंचायत प्रतिनिधियों के अकुशल वित्तीय प्रबन्धन को भी इंगित करता है।

इस राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-12 दिनांक 06-09-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त स्पष्ट किया कि, भविष्य में प्राप्त अनुदान को समय पर खर्च किया जायेगा। अतः अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये एवं कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

7.1 पंचायत राजस्व, गृहकर की बकाया राशि ₹0.64 लाख की वसूली न करने बारे।

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 33 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव का दायित्व है कि, समस्त राजस्व को नियमित व अविलम्ब रूप से वसूलने व सम्बधित ग्राम पंचायत के खातों

में समय पर जमा करवाना सुनिश्चित करें तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 114 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी कर, शुल्क, दर राशि का भुगतान नहीं करता तो वह जुर्माने के साथ दण्ड का भागीदार होगा।

ग्राम पंचायत चन्हौता के अंकेक्षण में पाया गया कि, पंचायत सचिव द्वारा सम्पति कर (गृहकर) रजिस्टर को संधारित नहीं किया गया था। जिस कारण सम्पति कर की वार्षिक मांग व गत बकाया बारे पुष्टि नहीं हो सकी। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा धारा 114 के अनुरूप गृहकर का समय पर भुगतान न करने के लिए चूककर्ताओं पर दण्ड लगाने हेतु भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। पंचायत द्वारा पंजीकृत परिवारों के आधार पर उपलब्ध करवाए गए अभिलेखानुसार निम्न ₹63660 राशि वसूली हेतु शेष थी।

वित्तीय-वर्ष	गत शेष	कुल परिवार	दर	वर्ष के दौरान मांग	कुल मांग	कुल प्राप्त राशि	बकाया राशि
2022-23	48920	441	20	8820	57740	3060	54680
2023-24	54680	449	20	8980	63660	0	63660

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-13 दिनांक 07-09-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि, पंचायत राजस्व की वसूली समय पर की जाएगी। उत्तर ग्राम पंचायत द्वारा अप्रभावी निगरानी का द्योतक है जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व का गैर संग्रहण/हानि हो सकती है। अतः सम्पति/गृहकर की बकाया राशि की शीघ्रातिशीघ्र वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क की कम वसूली तथा वसूली गई राशि को सरकारी राजकोष में जमा न करने बारे।

हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1996 की धारा 22 एवं हि०प्र० सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग की अधिसूचना संख्या WLF-A(3)-1/97, दिनांक 17-12-2004 व SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04-10-2016 एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जारी पत्र संख्या PCH-HA(1)8/2013-Marrige-8107-10 दिनांक 28-10-

2016 के अनुसार विवाह पंजीकरण के शुल्क की वसूली करने उपरान्त वसूली गई राशि को सरकारी राजकोष के प्राप्ति शीर्षक खाता संख्या "0235-00-800-03" में विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जमा की जानी अपेक्षित है।

(क) वसूली गई राशि को सरकारी राजकोष में जमा न करना :-

अभिलेखों के अंकेक्षण में पाया गया कि, उक्त पंचायत सचिव द्वारा संलग्न **परिशिष्ट 6** के अनुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के तौर पर वसूली गई राशि ₹3975/- को सरकारी राजकोष में जमा नहीं करवाया गया था अपितु इसे पंचायत के सभा निधि के बैंक खाते में रखा गया है जोकि उक्त नियमानुसार अनुचित है।

(ख) विवाह पंजीकरण उपरान्त अपेक्षित शुल्क तथा बिलम्ब शुल्क की वसूली न करना :-

पंचायत अभिलेखों के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा विवाह पंजीकरण उपरान्त अपेक्षित शुल्क की वसूली नहीं की गई तथा कुछ मामलों में कम या विलम्ब शुल्क की वसूली नहीं की गई जिस कारण सरकार को विवाह पंजीकरण शुल्क के तौर पर राशि ₹1600 की वित्तीय हानि जिसका पूर्ण विवरण संलग्न **परिशिष्ट 6** में दिया गया है सम्बंधित सचिव की लापरवाही के कारण हुई है।

इस सम्बन्ध में जारी अधियाचना संख्या-13 दिनांक 07-09-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा बताया कि, विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली उपरान्त उसे शीघ्र ही सरकारी राजकोष में जमा करवा दिया जायेगा। अत: उपरोक्त राशि ₹5575 (3975+1600) की वसूली करने उपरान्त सम्बन्धित खाते/कोष में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाये तथा गत वर्षों में इस प्रकार से सरकारी राजकोष में जमा नहीं करवाई गई राशि को भी जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये। भविष्य में इस प्रकार की गलती की पुनरावृत्ति न की जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

8.1 राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में पंचायत द्वारा चल-अचल सम्पतियों को दर्ज न करना।

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वाधान में वर्ष 2010-11 में पंचायत मिशन प्रोजेक्ट प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न एप्लिकेशन्स हैं जिनसे पंचायत की दैनिक कार्रवाई जैसे कि, पंचायत द्वारा की गई सेवाओं, सामान के खरीद,

भुगतान एवं पंचायत की सभी चल-अचल सम्पतियों का (उनके वास्तविक मूल्य पर) इन्द्राज करना अनिवार्य है।

ग्राम पंचायत चन्हौता के चयनित माहों के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में अर्जित सभी चल-अचल सम्पतियों एवं किये गए कार्यों को इन्द्राज/दर्ज नहीं किया गया था। जबकि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि तक कई कार्यों को पूर्ण किया गया था। लेकिन पंचायत द्वारा कोई भी कार्य उक्त एप्लीकेशन में नहीं किया जा रहा है जोकि पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पूर्णतया अवहेलना है। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-12 दिनांक 06-09-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, पंचायत की सभी चल-अचल सम्पतियों का इन्द्राज राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका एप्लीकेशन में कर दिया जायेगा। अत: मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाये।

8.2 आपूर्तिकर्ताओं को बिना W, X फॉर्म के राशि ₹11.73 लाख का अनियमित भुगतान के कारण सरकार को रॉयल्टी के तौर पर ₹0.91 लाख के राजस्व की हानि।

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास (फॉर्म-W) या सप्लीमेंट्री ट्रांजिट पास (फॉर्म-X) का उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची अनुसार रॉयल्टी का भुगतान पेनल्टी सहित किया जाना अपेक्षित है।

परन्तु ग्राम पंचायत चन्हौता, के अभिलेखों के चयनित माहों के अंकेक्षण एवं पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के आधार पर पाया गया कि पंचायत द्वारा उक्त नियमों एवं आदेशों की पूर्णत: अवहेलना की जा रही है। पंचायत द्वारा ठेकेदारों से अन्नापति प्रमाण पत्र/W,X-फॉर्म लिए बिना ही रेत,बजरी व पत्थर इत्यादि की आपूर्ति ली गई है। जिसके परिणामस्वरूप बिना W,X-फॉर्म लिए बिना जहाँ आपूर्तिकर्ताओं को राशि ₹1173288 का अनियमित भुगतान किया गया वही पर उक्त राशि पर सरकार को राशि ₹91063.34 (जिसका पूर्ण विवरण संलग्न **परिशिष्ट "4"** में दिया गया है।) की रॉयल्टी की वित्तीय हानि भी हुई है।

इस गम्भीर अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 04 दिनांक 05-09-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त कहा गया कि, नियमों की जानकारी न होने के अभाव में आपूर्तिकर्ताओं से रॉयल्टी की न तो कटौती की गई और न ही W, X फॉर्म लिए गए लेकिन इस सम्बन्ध में शीघ्र ही नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवा दिया जायेगा। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि उक्त फॉर्म उपरान्त ही क्रय किया जाना अपेक्षित था।

अत: उक्त प्रकरण से न केवल सरकारी राजस्व का वित्तीय रिसाव हो रहा है अपितु इससे अवैध खनन की संभावना को भी नहीं नकारा जा सकता। यह एक गम्भीर अनियमितता है जो उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाई जाती है। अत: इस अनियमितता को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा उद्योग विभाग के नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाये एवं कृत कार्रवाई/अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

8.3 प्रॉपर/टैक्स बिलों पर भुगतान न करने के कारण सरकारी राजकोष को वस्तु एवं सेवाकर (GST) के तौर पर राशि ₹0.56 लाख की सम्भावित वित्तीय हानि बारे।

केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार रेत, बजरी एवं पत्थर इत्यादि पर 5% की दर से GST का भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत चन्हौता के अभिलेखों के चयनित माहों के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं से रेत, बजरी व पत्थर इत्यादि की खरीद गई थी एवं पंचायत द्वारा इन्हें राशि ₹1173288/- भुगतान (जिसका पूर्ण विवरण संलग्न **परिशिष्ट "4"** में दिया गया है।) किया गया था परन्तु उक्त क्रय सामग्री के अधिकतर आपूर्तिकर्ता GST पंजीकृत नहीं है। फर्मों द्वारा पंचायत को प्रस्तुत बिल प्रॉपर/टैक्स बिल/कम्प्यूटर जनरेटेड न होकर केवल सादे कागज, रसीद, कैश मैमों व परफोर्मा बिल ही हैं जिससे इन बिलों की सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। यह न केवल अनुचित प्रक्रिया है अपितु एक प्रॉपर/टैक्स बिल के अभाव में सरकार को देय वस्तु व सेवा कर (GST) के तौर पर लगभग राशि ₹55870.87 की सम्भावित वित्तीय हानि भी हुई है।

उक्त गम्भीर प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 03 दिनांक 05-09-2024 के प्रत्युतर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त पत्र द्वारा सूचित कि, उक्त आपूर्तिकर्ताओं द्वारा पंचायत को केवल सादे कागज, रसीद, कैश मैमों व कुच्छ परफोर्मा बिल ही प्रस्तुत किया गए हैं यद्यपि पंचायत द्वारा इन बिलों पर भुगतान GST सहित किया गया है परन्तु इस सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी न होने के कारण यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि वास्तव में GST को सरकारी राजकोष में जमा करवाया गया है या नहीं इस मामले की पंचायत स्तर पर छानबीन करके कृत कार्रवाई से शीघ्र ही अंकेक्षण विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा एवं भविष्य में टैक्स बिलों पर ही भुगतान किया जायेगा।

अत: उक्त प्रकरण को तथ्यों सहित न्यायोचित ठहराया जाये एवं उक्त आपूर्तिकर्ताओं द्वारा यदि कोई उक्त बिलों के सम्बन्ध में कर भुगतान किया गया हो तो उनका साक्ष्य अनुवर्तन रिपोर्ट के साथ अंकेक्षण विभाग को शीघ्र प्रेषित किया जाये अन्यथा नियमविरुद्ध किये गए भुगतानों पर देय कर की पूर्ण गणना उपरान्त उक्त राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके सम्बन्धित खाते/कोष में जमा करवाई जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को भी अवगत करवाया जाये। यह गम्भीर प्रकरण उच्चाधिकारियों के समक्ष इस आशय से लाया जाता है कि; ऐसे प्रकरणों की गहन जांच की नितांत आवश्यकता है ताकि किसी भी प्रकार से कर अदेयता के मामलों की संभावना को पूर्णत: नकारा जा सके।

8.4 संविदाकारों से टी०डी०एस० की कटौती न करने के कारण सरकार को राशि ₹6000 की वित्तीय हानि बारे।

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194(C) के अनुसार आहरण व संवितरण अधिकारी द्वारा भुगतान करने से पूर्व TDS की कटौती करना एवं उसे सरकारी कोष में समयबन्ध तिथि को जमा करवाना अनिवार्य है।

ग्राम पंचायत चन्हौता के अभिलेखों के चयनित माहों के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान संलग्न **परिशिष्ट "7"** के अनुसार राशि ₹300000/- का भुगतान किया गया। परन्तु उक्त भुगतान करते समय स्त्रोत पर कर कटौती (TDS) नहीं की गई थी। जोकि न केवल आयकर अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों

की अवहेलना है अपितु इसके फलस्वरूप सरकारी राजस्व में राशि ₹6000/- (2%) की वित्तीय हानि आहरण व संवितरण अधिकारी के कारण हुई है।

इस अनियमितता के सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-07 दिनांक 05-09-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त कहा गया कि, टी.डी.एस.के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी न होने के अभाव में इसकी कटौती नहीं की गई परन्तु इस सम्बन्ध में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उत्तर संतोषजनक नहीं है।

अत: आहरण व संवितरण अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण में टी.डी.एस की कटौती किये बिना किये गये भुगतानों को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा आयकर अधिनियमों के तहत आहरण व संवितरण अधिकारी से उक्त राशि की वसूली ब्याज सहित करके तुरंत सरकारी राजकोष में जमा करवाया जाये इसके अतिरिक्त इस प्रकार के अन्य मामलों में अपने स्तर पर गणना करके राशि को जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को भी अवगत करवाया जाये।

8.5 ग्राम पंचायत द्वारा निष्पादित निर्माण कार्यों से सम्बंधित स्वीकृति/कार्य आदेश, प्राक्कलन, मापन पुस्तिका इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम 94, 95 व 101 के अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक ,तकनीकी स्वीकृति, मापन पुस्तिका व प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता है।

ग्राम पंचायत की चयनित माहों की लेखा परीक्षा के दौरान निम्नविवरणानुसार राशि ₹1183735 के करवाए गए कार्यों के प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, कार्य आदेश, प्राक्कलन, व प्रपत्र-34 इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए। जिसके अभाव में किये गए कार्यों व उसमें प्रयुक्त सामग्री/लेबर के व्यय, खपत, सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी।

क्र०सं०/अनुदान	कार्य विवरण	स्वीकृत राशि	टिप्पणी
1.15th FC	कार्य: पक्का पाथ लूहणी	200000	Work Order and Technical sanction order,Format-34.etc
2.15th FC	कार्य: पनिहार निर्माण परोल	151698	MB,Estimate Work Order and Technical sanction order,Format-34.etc
3.15THFC	कार्य : पनिहार निर्माण शिव मंदिर	150000	do
4.15THFC	कार्य : पक्का रास्ता वार्ड-2	182037	do
5. TASP	कार्य :बौंडरी वाल फेंसिंग सहित GSSS चन्हौता	200000	do
6.14th FC	कार्य: पेनलिंग वर्क एट पंचायत घर	300000	Estimate, Work Order, Technical sanction order,Form13 C
	कुल योग	**1183735**	

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-06 दिनांक 05-09-2024 द्वारा पंचायत सचिव को उक्त अनियमितता के सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कहा गया। जिसका कोई भी उत्तर पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। अत: उक्त वांछित अभिलेखों को आगामी अंकेक्षण में दिखाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

9.1 औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही राशि ₹9.85 लाख के स्टॉक/स्टोर का अनियमित क्रय करने बारे।

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते व नियमावली 2002 के नियम 67(4), 67(5), 69 एवं 70 स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने की औपचारिकतायें यथा निविदायें, कुटेशन (Quatations) आमंत्रित करना, मांग, अनुबंध सूची ,आपूर्ति आदेश इत्यादि प्रावधित है।

परन्तु पंचायत के चयनित माहों के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा राशि ₹984548/- के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया। (जिसका पूर्ण विवरण संलग्न **परिशिष्ट "3"** में दिया गया है।) जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। उक्त राशि की सामग्री व सेवाओं का क्रय औपचारिकतायें पूर्ण किए बिना ही किया गया। जिससे कि ग्राम पंचायत को न केवल बाजारी प्रतिस्पर्धा के लाभ से वंचित होना पड़ा बल्कि पंचायती राज अधिनियम 2002 के सरकारी नियमों की अवहेलना भी की गई, जोकि एक गम्भीर अनियमितिता है

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-05 दिनांक 05-09-2024 द्वारा उक्त प्रकरण सचिव के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि, भविष्य में नियमानुसार सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करने उपरान्त ही क्रय किया जायेगा। उत्तर तर्कसंगत नहीं है एवं बिना कुटेशन के क्रय करना संदिग्ध प्रतीत होता है यह मामला उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष तौर से लाया जाता है।

9.2 14वें वित्तायोग से राशि ₹0.30 लाख का दुर्विनियोजन

ग्राम पंचायत चन्हौता के व्यय वाउचरों के अवलोकन में पाया गया कि, पंचायत द्वारा 14वें वित्तायोग से रोकड़बही पृष्ठ संख्या 48 वाउचर संख्या 10 दिनांक 21-05-2022 को चैक संख्या 702113 दिनांक 23-05-2022 को श्री करतार सिंह को सादे कागज पर बिना किसी सामग्री/सेवा की आपूर्ति के राशि ₹30000 का भुगतान किया गया है जोकि संदिग्ध प्रतीत होता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-06 दिनांक 28-08-2024 द्वारा उक्त गम्भीर प्रकरण सचिव के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि, किये गए भुगतान की प्रतिपूर्ति करके शीघ्र ही खाते में जमा करवा दी जाएगी। यह गम्भीर प्रकरण उच्चाधिकारियों के समक्ष विशेष तौर पर लाया जाता है। अत: उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण ठोस तथ्यों के आधार पर उक्त व्यय को न्यायोचित ठहराते हुए अनुवर्तन रिपोर्ट के साथ प्रेषित करें अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर उक्त राशि की प्रतिपूर्ति व्याज सहित करके शीघ्र ही सम्बन्धित खाते में जमा करवा दी जाये तथा कृत कार्रवाई/अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को भी यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

9.3 ग्राम पंचायत द्वारा निष्पादित निर्माण क्रय के दौरान बची हुई शेष सामग्री लागत राशि ₹2521 का सम्भावित दुरूपयोग।

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के **चैप्टर-8 नियम 69 के अनुसार** सारा स्टोर (सामान) जब प्राप्त किया जाता है, उसका यथास्थिति, परिक्षण, गणना, माप या तोल किया जायेगा और तुरंत स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्ट किया जायेगा।

ग्राम पंचायत के चयनित माहों के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा निम्न कार्य के निष्पादन हेतु निम्नविवरणानुसार (व **परिशिष्ट "9")** 65 बैग सीमेंट का क्रय किया गया लेकिन माप पुस्तिका के अवलोकन में पाया गया कि सीमेंट के केवल 59.31 बैग की ही खपत हुई शेष बचे 5.69 सीमेंट बैग जिसकी लागत राशि ₹2521 थी उसका का न तो स्टॉक में बकाया शेष दर्शाया गया और न ही इसकी आगे कोई खपत दिखाई गई। इसके अतिरिक्त मापन पुस्तिका को सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित भी नहीं किया गया था जो अनुचित व संदिग्ध प्रतीत होता है।

1. Work: Pucca path at Luhni Head 15th FC MB No.29981 Page – 53-55					
Item no. & Nomenclature	**Executed Qty.**	**Cement Consumed**	**Cement Purchase**	**Material Balance**	**Amount Rate/ bag**
1.	**2.**	**3. (2*4.40)**	**4.**	**5. (4-3)**	**6.**
1. P/L CC 1:3:6	13.48m3	13.48x4.4=59.31	65 Bags	5.69 Bags	2520.67 443*5.69

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-11 दिनांक 06-09-2024 द्वारा उक्त प्रकरण सचिव के ध्यानार्थ वस्तुगत स्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा बताया गया कि, निर्माण कार्यों के दौरान शेष बची सामग्रियों की पंचायत स्तर पर छानबीन उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को सूचित कर दिया जायेगा। उत्तर संतोषजनक नहीं है। अतः उक्त प्रकरण में शेष बची सामग्री के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण ठोस तथ्यों व अभिलेखों के आधार पर न्योयचित ठहराते हुए शीघ्र ही अनुवर्तन रिपोर्ट के साथ प्रेषित करें अन्यथा उक्त सामग्री की प्रतिपूर्ति सम्बन्धित कर्मचारियों से नियमानुसार करके शीघ्र

ही खातों में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाये एवं अन्य ऐसे मामलों की विभागीय स्तर पर छानबीन उपरान्त अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाये तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9.4 निर्माण कार्यों में विविध अनियमितताओं के कारण राशि ₹7719 का अधिक भुगतान।

हि०प्र० पंचायती राज ((वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के **चैप्टर- 9 नियम 76** के अनुसार सम्बन्ध पंचायत का सचिव यदि कोई पंचायत निधि से किये गए अति संदाय/अधिक भुगतान, चाहे सदभाव से किया गया है, की तत्पर वसूली करने का जिम्मेदार होगा।

ग्राम पंचायत द्वारा निष्पादित निर्माण कार्य की माप पुस्तिकाओं के अवलोकन में पाया गया कि, निम्नविवरणानुसार (व **परिशिष्ट "9")** के अनुसार पक्का पाथ कार्य में स्टोन सोलिंग व ग्राउंड ड्रेसिंग उपरान्त उस पर सीमेंट कंक्रीट का कार्य किया जाना था जिसके अंतर्गत तकनीकी सहायक द्वारा माप पुस्तिका में कुल निष्पादित ग्राउंड ड्रेसिंग व स्टोन सोलिंग की मात्रा से 4.80 m3 का अधिक सीमेंट कंक्रीट कार्य दर्शाया गया हैं जोकि न तो कार्य के प्राक्कलन में दिया गया था और न ही माप पुस्तिका को सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया गया जोकि उचित प्रतीत नहीं होता है।

Work: Pucca path at Luhni Head 15th FC MB No.29981 Page – 53-55		
Work Item & Nomni.	CC Qty. Executed as per MB But for this no corresponding entry of Stone Soiling and Ground Dressing Found/recorded in MB	Qty. & Rate
3.P/L CC 1:3:6	4.80m3	4.80*432.95
A. Total Amount Qty.*rate		₹2078.16
B. Less Contractor profit 15% (2078.16x15/100 i.e 311.72) 2078.16-311.72		₹1766.44
C. Add Labour Enhancement 337% on 1766.44 i.e 5952.90		₹5952.90
Total Amount Overpaid (B+C)		**₹7719.34**

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-11 दिनांक 06-09-2024 के प्रत्युत्तर में तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, मामले की जाँच उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण विभाग को सूचित कर दिय जायेगा। प्रस्तुत उत्तर सन्तोषजनक नहीं है चूँकि बिना ग्राउंड ड्रेसिंग व स्टोन सोलिंग के कंक्रीट कार्य संदिग्ध प्रतीत होता है अतः उक्त प्रकरण को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा उक्त राशि की प्रतिपूर्ति शीघ्र ही खाते में जमा करवा दी जाये एवं इस प्रकार के अन्य मामलों की विभाग स्तर पर गहनता से जाँच की जानी सुनिश्चित की जाये अनुपालना लेखा परीक्षा में वांछित है।

9.5 प्राक्कलन व सक्षम अधिकारी के अनुमोदन बिना राशि ₹0.46 लाख की अतिरिक्त मदों (Extra items) का निष्पादन करने बारे।

ग्राम पंचायत द्वारा निम्नविवरणानुसार माप पुस्तिका व प्राक्कलन के अवलोकन में पाया गया कि तकनीकी सहायक द्वारा प्राक्कलन में न होने के बाबजूद निम्न अतिरिक्त मदों का निष्पादन किया गया और न ही इस सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी से स्वीकृति ली गई है जोकि नियमानुसार अनुचित प्रतीत होता है।

Work: Pucca path at Luhni Head 15th FC MB No.29981 Page – 53-55			
Item no. & Nomenclature	**Executed Qty.**	**Qty. & Rate**	**Amount as per MB**
1.	**2.**	**3.**	**4.**
4. Dry Rubble masonary	1.90m3	1.90x200.45	₹380
5. Collection of Stone	1.90m3	1.90 x 350	₹665
6. Carrige of stone	1.90m3	1.90 x 185.08	₹351
7. Collection of Soling Stone	23.14m3	23.14 x 300	₹6942
8. Carrige of Soling Stone	23.14m3	23.14 x 171.18	₹3961
A. Total Amount (Qty.*rate)			₹12303
B. Less Contractor profit 15% (12303x15/100 i.e 1845.45)			₹10457.55
C. Add Labour Enhancement 337% on 10457.55 i.e 35241.94			₹35241.94
Total Amount (B+C)			**₹45699.49**

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-11 दिनांक 06-09-2024 के प्रत्युत्तर में तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, निर्माण कार्य के दौरान निष्पादित Extra items की सक्षम अधिकारी से स्वीकृत ले ली जाएगी। अत: उक्त कार्य के अंतर्गत प्राक्कलन में प्रावधित न होने के बावजूद तथा बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के अतिरिक्त मदों का निष्पादन किया जाना अनियमित व संदिग्ध है। अत: उक्त अतिरिक्त मदों के निष्पादन की कार्योतर स्वीकृति सक्षम अधिकारी से लेकर किये गए व्यय को नियमित करवाया जाये अन्यथा उक्त राशि की प्रतिपूर्ति सम्बन्धित कर्मचारी से करके शीघ्र ही खाते में जमा करवा दी जाये अनुपालना लेखा परीक्षा में वांछित है।

9.6 माप पुस्तिकाओं में बिना लीड (दूरी) दर्शाए पत्थर ढुलाई पर राशि ₹0.16 लाख का अनियमित व्यय।

ग्राम पंचायत के नमूना अंकेक्षण के दौरान निर्माण कार्यों की माप पुस्तिकाओं के अवलोकन में पाया गया कि निम्नविवरणानुसार कार्य में 25.04m3 पत्थर की ढुलाई कार्यरत लेबर द्वारा दर्शाई गई है जिसके एवज में राशि ₹16017 का भुगतान कार्यरत लेबर को (मद पत्थर ढुलाई हेतु) किया गया है। आगे अवलोकन में पाया गया कि, माप पुस्तिका में लेबर द्वारा पत्थर की ढुलाई की दूरी (लीड) दर्ज नहीं की गई है और न ही उक्त मद को सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया है जिससे कि उक्त मद के तहत किये गए भुगतान की सत्यता व प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी।

Name of Work : Pucca path at Luhni Head 15th FC MB No.29981 Page - 53-55				
Nomenclature	**Executed Qty.**	**Rate**	**Amount**	**Remrks**
6. Carrige of stone	1.90m3	185.08	₹351	No lead shown in MB
8. Carrige of Soling Stone	23.14m3	171.18	₹3961	............do............
A. Total Amount (Qty.*rate)			₹4312	₹4312
B. Less Contractor profit 15% (4312x15/100 i.e 646.80)				₹3665.20
C. Add Labour Enhancement 337% on 3665.20 i.e 12351.72				₹12351.72
Total Amount (B+C)				**₹16016.92**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-10 दिनांक 21-08-2024 द्वारा उक्त प्रकरण पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि, अनियमित व्यय की सक्षम अधिकारी से स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जायेगा। अतः उक्त मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

9.7 पंचायत की माप पुस्तिकाओं के रख-रखाव में पाई गई विविध अनियमितताओं बारे।

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के चैप्टर-11 के नियम 101 (ग) के अनुसार तकनीकी सहायकों की माप पुस्तिकाओं को कनिष्ट अभियंता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना अनिवार्य है।

ग्राम पंचायत के तकनीकी स्तर पर करवाए गए निर्माण कार्यों की माप पुस्तिकाओं के अवलोकन में पाया गया कि यह उक्त नियमानुसार कनिष्ट अभियंता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं की गई थी जिससे की अभिलेख की सत्यता व प्रमाणिकता की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकी तथा सामग्री खपत विवरण तैयार नहीं किया गया था जोकि न केवल अनुचित हैं अपितु इसके अभाव में यह ज्ञात करना जटिल हो जाता है कि वास्तव में कितनी सामग्री किसी कार्य विशेष हेतु क्रय की गई कितनी उपभोग की तथा कितनी शेष बची ?

इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 11 दिनांक 06-09-2024 के प्रत्युत्तर में कहा गया कि भविष्य में उक्त अनियमितताओं की पुनरावृत्ति नहीं की जाएगी। उत्तर संतोषजनक नहीं हैं उक्त अनियमितताओं के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाये।

9.8 मूल्यांकन किये बिना ही राशि ₹3.49 लाख के निर्माण कार्यों का अनियमित भुगतान

हि०प्र० पंचायती राज ((वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 106 के अनुसार अंतिम भुगतान से पूर्व अंतिम निर्धारण रिपोर्ट प्रेषित करना तथा नियम 107 के अंतर्गत वर्णित दशाओं के उपरान्त नियम 101(2)(i) के अनुसार कार्य के पूर्ण होने के पंद्रह दिनों की भीतर उनकी पैमाइश की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत चन्हौता द्वारा निष्पादित निर्माण कार्यों के अवलोकन में पाया गया कि, पंचायत द्वारा निम्नविवरणानुसार राशि ₹349199 के निर्माण कार्यों के पूर्ण होने के काफी लम्बे समय तक भी तकनीकी सहायक द्वारा कार्यों की पैमाइश/ मूल्यांकन नहीं किया गया है एवं पंचायत द्वारा बिंना पैमाइश/ मूल्यांकन के भुगतान कर दिया गया है। जोकि उचित प्रतीत नहीं होता है।

क्र०	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	अंकेक्षण अवधि तक व्यय राशि	कार्य पूर्ण तिथि	कार्य की वर्तमान स्थिति
1.	पनिहार निर्माण परोल	151698	45780	अप्रैल, 2024	पूर्ण
2.	पनिहार निर्माण शिव मंदिर	150000	124382	नवम्बर, 2023	पूर्ण
3.	पक्का पाथ वार्ड 2-	182037	179037	अक्टूबर, 2023	पूर्ण
	कुल योग	**483735**	**₹349199**		

इस अनियमितता के सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-09 दिनांक 05-09-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, तकनीकी सहायक द्वारा उक्त निर्माण कार्यों की समाप्ति उपरान्त भी माप पुस्तिकाओं में कार्यों की पैमाइश/मूल्यांकन नहीं किया गया जिससे लेबर द्वारा भुगतान प्राप्त न होने पर शिकायतों के उपरान्त भुगतान करना पड़ा। प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं है।

अत: उक्त प्रकरण में लम्बे समय तक माप पुस्तिका में मूल्यांकन न किये जाने एवं बिना मूल्यांकन के भुगतान को ठोस तथ्यों के आधार सक्षम अधिकारी की स्वीकृति उपरान्त न्योयचित ठहराते हुए अपना स्पष्टीकरण अनुवर्तन रिपोर्ट के साथ शीघ्र प्रेषित करें अन्यथा उक्त राशि की प्रतिपूर्ति करके शीघ्र ही खाते में जमा करवा दी जाये कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को भी अवगत करवाया जाये।

9.9 बिना अनुदान के निर्माण कार्यों पर राशि ₹3.35 लाख का अनियमित व्यय।

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्नविवरणानुसार राशि ₹335287 का व्यय विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत करवाये जाने वाले कार्यों पर किया

गया चूँकि इन समस्त योजनाओं का संधारण एक ही रोकड़बही व एकल बैंक खाते के माध्यम से सामान्य, सभा निधि के साथ किया जा रहा है। आगे अवलोकन में पाया गया कि इन योजनाओं के तहत संचालित कार्यों हेतु प्राप्त किस्तों में से अधिक राशि का व्यय अन्य अनुदानों व सभा निधि में से किया गया जोकि अनुचित है।

अनुदान	कार्य का नाम	स्वीकृतराशि	कुल प्राप्ति	कुल व्यय	अधिक व्यय
1.	2.	3.	4.	5.	6. (4-5)
1. VKVNY	सरायें निर्माण जुआ	200000	60000	193134	133134
2.NUCLES	पक्का रास्ता सुकराह	100000	0	61250	61250
3. NUCLES	प्रोटेक्शन कार्य मस्त राम के घर के पास	100000	0	47730	47730
4. NUCLES	प्रोटेक्शन कार्य सुनील कुमार के घर के पास	100000	0	48040	48040
5. TASP	चार दिवारी फेंसिंग सहित GSSS चन्हौता	200000	60000	105133	45133
	कुल योग	**₹700000**	**₹120000**	**₹455287**	**₹335287**

इस अनियमितता के सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-09 दिनांक 05-09-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, उक्त करवाये गए कार्यों के अंतर्गत अनुदान की किस्तें समय पर प्राप्त न होने के कारण इनका व्यय सामान्य खाते से करना पड़ा सम्बंधित अनुदानों की किस्तें प्राप्त होने पर शीघ्र ही यह हस्तांतरित कर दिया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं है। अत: उक्त व्यय को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति उपरान्त न्यायोचित ठहराये जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

9.10 बिना प्रॉपर/टैक्स बिलों के राशि ₹8.70 लाख के स्टोर/स्टॉक का अनियमित भुगतान

ग्राम पंचायत चन्हौता के चयनित माहों के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा संलग्न **परिशिष्ट "8"** के अनुसार राशि ₹870148 का भुगतान विभिन्न सामग्रियों के क्रय की एवज में किया गया परन्तु इन बिलों के अवलोकन में पाया गया कि यह बिल प्रॉपर/टैक्स बिल न होकर अभिस्वीकृति सहित सादे कागज पर रसीद मात्र, कैश मैमों तथा परफोर्मा बिल हैं इसके अतिरिक्त अधिकतर बिलों पर वेन्डर/आपूर्तिकर्ता का विवरण, GST/TIN संख्या, बिल क्रमांक इत्यादि अंकित नहीं है एवं बिलों पर दिनांक भी हस्तलिखित है एवं बिल संख्या पंचायत द्वारा बिलों पर स्वयं आवंटित की गई है। जिससे कि इनकी सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी इस प्रकार के बिलों की कुच्छ चयनित माहों के प्रतिलिपियाँ इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर संलग्न हैं।

इस गम्भीर अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 11 दिनांक 06-09-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि कहा कि, अधिकतर आपूर्तिकर्ताओं द्वारा इस प्रकार के बिलों पर दावे किये गए हैं जिनका समय-समय पर पंचायत द्वारा भुगतान किया गया है भविष्य में प्रॉपर टैक्स बिलों एवं मान्य GST धारकों से ही क्रय किया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं है। उक्त अनियमितताओं एवं प्रस्तुत उत्तर के आधार पर उक्त व्यय संदिग्ध व अनियमित प्रतीत होता है। अत: इस सम्बन्ध में अपना पक्ष ठोस तथ्यों व अभिलेखों सहित यथाशीघ्र प्रस्तुत करते हुए उक्त किये गए व्यय को न्यायोचित ठहराया जाये तथा इसे अनुवर्तन रिपोर्ट के साथ शीघ्र ही प्रेषित किया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9.11 सयुंक हस्ताक्षर के बिना ही राशि ₹9.85 लाख का अनियमित भुगतान करने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम **49(1)(2)** के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान हेतु ग्राम पंचायत प्रधान व सचिव दोनों द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित किया जाना जरुरी है।

ग्राम पंचायत के चयनित माहों के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत प्रधान द्वारा एकल हस्ताक्षर से ही (संलग्न **परिशिष्ट "5")** राशि ₹**984548**/- भुगतान किये गए थे जोकि

जोकि न केवल उक्त नियमों की स्पष्ट अवहेलना है अपितु यह संदिग्ध भी प्रतीत होता है जिसके अंतर्गत राशि के दुर्विनियोजन की संभावना को भी नहीं नकारा जा सकता है एवं न ही किये गए भुगतानों की सत्यता व प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं की जा सकी।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-08 दिनांक 05-09-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव ने कहा कि, भविष्य में नियमानुसार संयुक्त हस्ताक्षर उपरान्त ही बिलों का भुगतान किया जायेगा। उत्तर संतोषजनक नहीं है। अत: नियमविरुद्ध किये गए भुगतानों को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

9.12 राशि ₹9.85 लाख के क्रय स्टोर/स्टॉक को स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज न करना एवं पंचायत के स्टॉक रजिस्टर के रख-रखाव में पाई गई विविध अनियमिताओं बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के **चैप्टर-8 नियम 69 के अनुसार** सारा स्टोर (सामान) जब प्राप्त किया जाता है ,उसका यथास्थिति, परिक्षण, गणना, माप या तोल किया जायेगा और तुरंत स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्ट किया जायेगा एवं नियम 70 से 72 में वर्णित विभिन्न नियमों की अनुपालना आवश्यक है।

ग्राम पंचायत द्वारा अन्य अनुदानों हेतु संधारित स्टॉक रजिस्टर के अवलोकन में पाया गया कि, पंचायत द्वारा संलग्न **परिशिष्ट "5"** के अनुसार राशि ₹984548 के स्टोर/स्टॉक को स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज नहीं किया गया था आगे अवलोकन में यह पाया गया कि, पंचायत द्वारा स्टॉक रजिस्टर, स्टेशनरी स्टॉक रजिस्टर का संधारण नहीं किया गया था जोकि न केवल उक्त नियमों की स्पष्ट अवहेलना हैं अपितु इससे क्रय स्टोर/स्टॉक की दुर्विनियोजन की संभावना को भी नहीं नकारा जा सकता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-08 दिनांक 05-09-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव, द्वारा सूचित किया कि स्टोर/स्टॉक के भंडारण रजिस्टर का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है इस सम्बन्ध में भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चूँकि यह न केवल नियमविरुद्ध है अपितु स्टॉक रजिस्टर का रख-रखाव न किये जाने के दृष्टिगत से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। अत: नियमविरुद्ध अपनाई गई इस कार्यप्रणाली को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में

नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाये तदानुसार कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

9.10 मनरेगा मटेरियल व वर्क रजिस्टर के संधारण में पाई गई विविध अनियमितताओं बारे

ग्राम पंचायत के मनरेगा ऑनलाइन मटेरियल रजिस्टर के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा मनरेगा अनुदान के तहत वित्तीय वर्षो 2022-2023 एवं 2023-2024 के दौरान कुल ₹526992 का स्टोर/स्टॉक क्रय किया गया था परन्तु उक्त ऑनलाइन रजिस्टर में क्रय स्टोर/स्टॉक को तकनीकी सहायक द्वारा न तो सत्यापित किया गया था और न ही इसके अथशेष, अन्तशेष तथा स्टॉक रजिस्टर प्रविष्टि का विवरण भरा गया है इसके अतिरिक्त मनरेगा ऑनलाइन वर्क रजिस्टर के अवलोकन में पाया गया कि इसमें कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि को नहीं भरा जा रहा है जोकि न केवल नियमानुसार अनुचित है अपितु इसके अभाव में स्टोर/स्टॉक के दुर्विन्योजन व कार्य में किसी प्रकार के अनिधिकृत समायोजन प्रविष्टि की संभावना को भी नहीं नकारा जा सकता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-08 दिनांक 05-09-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव, द्वारा सूचित किया कि, इस सम्बन्ध में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह एक गम्भीर अनियमितता है जोकि उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष तौर से लाई जाती है। अत: नियमविरुद्ध अपनाई गई इस कार्यप्रणाली को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाये तदानुसार कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

9.11 मनरेगा के अंतर्गत किये भुगतानों के Fund Transfer Orders को प्रस्तुत न करना।

ग्राम पंचायत के चयनित माहों के अंकेक्षण में मनरेगा के अंतर्गत किये गए भुगतान के FTOs (fund transfer orders) को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कि यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि जो बिल पंचायत द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत किये गए हैं वास्तव में उन्ही को भुगतान किया गया है।

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 08 दिनांक 05-09-2024 को सचिव को उक्त FTOs को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया, जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा बताया कि मनरेगा भुगतानों के FTOs पंचायत में उपलब्ध नहीं है इस कारण यह अंकेक्षण

में प्रस्तुत नहीं किये जा सकते। उत्तर संतोषजनक नहीं है अत: FTOs का पंचायत में न पाया जाना को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9.12 राशि ₹2.48 लाख के मस्ट्रोलों के भुगतान में पाई गई वित्तीय व अन्य विविध अनियमितताओं बारे।

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 93(क) एवं अधिनियम 1994 की धारा 23 के अधीन गठित संकर्म समिति एवं नियम 108 के अनुसार सतर्कता समिति पंचायत द्वारा निष्पादित निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेगी। पंचायत चन्हौता के चयनित माहों के अंकेक्षण में पाया गया कि, पंचायत द्वारा अग्रतालिका के विवरणानुसार कुल राशि ₹247551/- का व्यय किया गया। जिसमें निम्नलिखित अनियमिततायें पाई गई :-

1. मस्ट्रोल पर सतर्कता व निर्माण समिति के हस्ताक्षर न करवाना।
2. प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना भुगतान करना।
3. मस्ट्रोल में दर्ज कुल मजदूरों की उपस्थिति को प्रधान द्वारा सत्यापित न करना।
4. मस्ट्रोल में अन्य विवरण जैसे: प्रस्ताव संख्या, दिनांक ,कार्य का नाम , कार्य शुरू करने एवं समाप्ति की तिथि इत्यादि का विवरण अपूर्ण पाया जाना।

क्र०स०/ अनुदान	निर्माण कार्य	मस्ट्रोल संख्या	वाउचर/ दिनांक	राशि
1.15th FC	कार्य: पनिहार निर्माण शिव मंदिर चन्हौता	42207	10/ 05-11-2023	57096
2.15th FC	कार्य: पक्का रास्ता निर्माण वार्ड-2	42208	11/ 01-03-2024	72900
3.15THFC	कार्य : पक्का रास्ता निर्माण लूहणी	42210	08/ 03-02-2023	69787
4. TASP	कार्य :बौंडरी वाल फेंसिंग सहित GSSS चन्हौता	54557	28/ 15-12-2023	47768
			कुल योग	**₹247551**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 10 दिनांक 06-09-2024 के द्वारा उक्त प्रकरण को सचिव, के ध्यानार्थ वस्तुगत स्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा उपरोक्त तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, उक्त वर्णित अनियमितताओं की पुनरावृत्ति भविष्य में नहीं की जायेगी तथा कृत कार्रवाई से अवगत करवा दिया जायेगा। अत: इस सम्बन्ध में आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

10.1 रोकड़ बहियों का रख-रखाव/संधारण में पाई गई विविध अनियमितताओं बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार रोकड़बहियों का रख-रखाव किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत चन्हौता के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा समस्त अनुदानों व स्व-स्त्रोतों की रोकड़बहियों का संधारण ऑनलाइन व मैन्युअल दोनों माध्यम से किया जा रहा है जबकि विभाग के दिशा-निर्देशों अनुसार रोकड़बहियों का संधारण e-ग्राम स्वराज में ही किया जाना अपेक्षित है। परन्तु पंचायत द्वारा केवल मैनुयल संधारित रोकड़बहियों को अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया। अंकेक्षण में प्रस्तुत मैन्युअल संधारित रोकड़बहियों का रख-रखाव उचित तरीके से नहीं किया गया था इसमे न तो अथशेष व अन्तशेष लिए गए हैं और न ही इसमें दर्ज/प्रविष्ट Transctions के प्रगतिशील योग किये गए हैं जोकि न केवल लेखांकन नियमों के विरुद्ध हैं अपितु इससे पंचायत द्वारा प्रस्तुत परिशिष्ट 1 व 2 में लिए अथशेषों व अंतशेषों को सत्यापित किया जा सका। ऐसी स्थिति में बैंक से किये जा रहे लेन-देन पर भी कोई नियन्त्रण नहीं रह जाता तथा रोकड़बही, बैंक खाते में उपलब्ध शेष राशि बारे में कोई विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं करवाती। इसके अतिरिक्त ऐसी स्थिति में पंचायत द्वारा बनाई जा रही व उपलब्ध करवाई गई मासिक आय-व्यय तालिका, वार्षिक वित्तीय विवरण तथा संतुलन पत्र की मदें भी विश्वसनीय नहीं रह जाती तथा इसमें अनिधिकृत समायोजन की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

इस सन्दर्भ में जारी अधियाचना संख्या-08 दिनांक 05-09-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि, समस्त रोकड़बहियों का संधारण मेनुअल माध्यम से किया जा रहा है एवं ऑनलाइन संधारित रोकड़बहियाँ अपूर्ण होने के कारण वह लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की जा सकी मेनुअल संधारित रोकड़बहियों में अंतशेष, अथशेष व प्रगतिशील योग नहीं किया गए हैं एवं परिशिष्टों में दर्शाए गये अथशेष व अन्तशेष पंचायत की परीक्षा संतुलन सूची व बैंक पासबुक से लिया गए हैं। अत: भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

10.2 पंचायत के वार्षिक लेखा खातों, आय-व्यय विवरणों एवं बैलेंस शीट इत्यादि को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे।

ग्राम पंचायत चन्हौता के चयनित माहों के अंकेक्षण में पंचायत द्वारा संधारित किये जाने वाले आवश्यक अभिलेखों यथा वार्षिक प्राप्ति एवं भुगतान खाता, ट्रायल बैलेंस, आय एवं व्यय विवरण, बैलेंस शीट एवं अन्य वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कि, पंचायत के उक्त लेखा खातों/अभिलेखों का अंकेक्षण के दौरान सत्यापन व प्रमाणीकरण नहीं किया जा सका।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-12 दिनांक 06-09-2024 द्वारा पंचायत सचिव से उक्त वित्तीय विवरणों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने को कहा गया जिसके जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा बताया गया कि उक्त समस्त अभिलेख/वित्तीय विवरण पंचायत में उपलब्ध नहीं है जिस कारण यह अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया जा सके। उत्तर संतोषजनक नहीं है।

अत: उक्त अभिलेखों/वित्तीय विवरणों का संधारण न करना अथवा उनका पंचायत रिकॉर्ड में उपलब्ध न होना न केवल नियमानुसार अनुचित है अपितु यह आपत्तिजनक भी है। इस सम्बन्ध में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10.3 खाता "क" तथा "ख" को अलग से नियमानुसार संधारित न करने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सम्परीक्षा, संकर्म, कराधान एवं भत्ते) नियमावली 2002 के **नियम 4** के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी आय (स्व-स्त्रोत) के लिए खाता "क" तथा अनुदानों और विशेष प्रयोजनों के लिए खाता "ख" अलग-अलग से खोले जाने अपेक्षित हैं।

वितीय वर्ष 2022-23 से 2023-24 के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अपनी आय (स्व-स्त्रोत) के खाते को पृथक नहीं रखा गया है। अपितु अन्य अनुदानों जैसे MPLAD,LADF,VKVNY व 3rd/5th स्टेट का एक बैंक खाता एवं एक ही रोकड़बही में संधारण किया जा रहा है। जोकि उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है।

इस सम्बध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-12 दिनांक 06-09-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, पंचायत के स्व-स्त्रोत आय व्यय के लिए पृथक बैंक खाता खुलवा लिया जाएगा। उत्तर सन्तोषजनक नहीं है। अत: इस सम्बन्ध में आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10.4 महत्वपूर्ण रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नियमानुसार न करने बारे।

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के **नियम 29 से 31** व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य नियम के **नियम 34** के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव या तो अपूर्ण था अथवा निर्धारित प्रपत्र पर नियमानुसार संधारित नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र०	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम	टिप्पणी
1.	बजट प्राक्कलन	11	37	अपूर्ण
2.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30	संधारित नहीं
3.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	----	15(1)	संधारित नहीं
4.	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)	संधारित नहीं

5.	वर्गीकृत सार	08	29(4)	संधारित नहीं
6.	निर्माण कार्य रजिस्टर	---------	103	संधारित नहीं
7.	तकनीकी जाँच पड़ताल व मंजूरी आकलन	31	95(1)	संधारित नहीं
8.	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) AB	संधारित नहीं
9.	बही खाता (Ledger)	07	29 (1 से 4)	संधारित नहीं
10.	बिल रजिस्टर	13	48	संधारित नहीं
11.	ग्राम पंचायत का स्टॉक/सामग्री रजिस्टर	01 व 06	34	संधारित नहीं
12.	अंकेक्षण प्रतिवेदन/प्रतिवेदनों रजिस्टर	30	89	संधारित नहीं

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-12 दिनांक 06-09-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि, भविष्य में विहित रजिस्टरों का रख-रखाव नियमानुसार किया जायेगा। अतः भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से आगामी लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

11. भौतिक सत्यापन (Physical Verification) न करवाने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण,सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के **नियम 73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत चन्हौता की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया। जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता। समय-समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक गम्भीर अनियमितता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-12 दिनांक 06-09-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, भविष्य में क्रय स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन करवा कर विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा। उत्तर तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये सामान के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरूपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः मामले में नियमानुसार

अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

12. लघु आपत्ति विवरणिका:- लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है। अपितु समय-समय पर चर्चा के दौरान सभी पहलुओं, नियमों/प्रावधानों पर प्रकाश डाला गया।

13. निष्कर्ष :- उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत न केवल लेखों के सुधार अपितु नियमानुसार कार्रवाई न करके वित्तीय व विविध प्रक्रियात्मक चूक सम्बन्धी अनियमिततायें की जा रही है। यह बात उच्चाधिकारियों के समक्ष विशेष तौर पर इस आशय से लाई जाती है कि, उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत पंचायत के गहन जांच की नितांत आवश्यकता है ताकि किसी भी प्रकार से सरकारी धन के दुर्विनियोजन की संभावना को पूर्णतः नकारा जा सके।

(कृष्ण लाल नेगी) 23.X.24
सहायक निदेशक
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

4795-4799 23 OCT 2024

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल०ए०) एच (पंच) 15 (7) 34/2018 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09
प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि०प्र०, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि०प्र० विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी चम्बा, जिला चम्बा, हि०प्र०।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा हि०प्र०।
5. (पंजीकृत) सचिव, ग्राम पंचायत चन्हौता, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा (हि०प्र०) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

23.X.24
(कृष्ण लाल नेगी)
सहायक निदेशक
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

23 OCT 2024

परिशिष्ट "1" पैरा संख्या 4.1 में संदर्भित

Financial Position of GP Chanhouta for the Year 2022-2023 To 2023-2024

1. Own Source (VKVNY, TASP,LADA, 3rd/5th SFC)

FINANCIAL YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	996167.00	1113263.00	2109430.00	465706.00	1643724.00
2023-24	1643724.00	290309.00	1934033.00	1389232.00	544801.00

2. Grants in aid

FINANCIAL YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	3043829.00	5007380.02	8051209.02	5540959.02	2510250.00
2023-24	2510250.00	6440444.50	8950694.50	6250848.10	2699846.40
					3244647.40

नोट: प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम पंचायत चन्हौता, विकास खंड भरमौर में उपरोक्त निधियों के अंतर्गत आठ रोकड़ बहियाँ का संधारण किया जा रहा है।

1+2 (542044+2699846.40)

Closing Balance as per Cash Books		3244647.40
Closing Balance as per Bank Passbook		3468407.00
Difference	(Less in Cash Book)	-223759.60

Checked

सचिव
ग्राम पंचायत चन्हौता
विकास खण्ड भरमौर
जिला चम्बा (हि.प्र.)

परिशिष्ट "2" पैरा संख्या 4 में सन्दर्भित

Financial Position Grants in Aids of GP Chanouhta for the Year to 2022-2023 To 2023-2024

Sr.No	Particulars	Year	Opening	Receipt	Total	Expenditure	Closing
1	MGNREGA	2022-23	0.00	4104234.02	4104234.02	4104234.02	0.00
		2023-24	0.00	5211802.50	5211802.50	5211802.50	0.00
2	15TH FC	2022-23	1911475.00	854747.00	2766222.00	268526.00	2497696.00
		2023-24	2497696.00	200702.00	2698398.00	382563.00	2315835.00
3	14th FC	2022-23	1099497.00	47684.00	1147181.00	1134627.00	12554.00
		2023-24	12554.00	229.00	12783.00	10466.00	2317.00
4	PMAAY(G)	2022-23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2023-24	0.00	1027711.00	1027711.00	646016.60	381694.40
5	IAY	2022-23	19065.00	415.00	19480.00	19480.00	0.00
		2023-24	0.00		0.00		0.00
6	RAY	2022-23	12764.00	278.00	13042.00	13042.00	0.00
		2023-24	0.00		0.00		0.00
7	13th FC	2022-23	1028.00	22.00	1050.00	1050.00	0.00
		2023-24	0.00		0.00		0.00

सचिव
ग्राम पंचायत चन्हौता
विकास खण्ड भरमौर
जिला चम्बा (हि.प्र.)

Annexure "3" Store/ stock purchase without Codal Formalities refer in Para 9.1

SR. NO.	NAME OF VENDER/ SUPPLIER	GRANTS/ HEAD	VOUCHER/ DATE	NAME OF MATERIAL	QTY. M3	AMOUNT PAID
1	M/S Manoj Kumar	15th FC	02 & 03	Sand	4.00	21192
	PO Chanhouta, Bharmour		13-09-2023	Stone	11.50	19550
				Aggre.	6.50	33287
2	M/S Manoj Kumar	LADA	26/	Stone	15.00	25500
	PO Chanhouta, Bharmour		14-12-2023	Sand	1.90	9730
				Aggre.	1.90	10052
3	M/S Manoj Kumar	PMAAGY	15/	Stone	9.92	16864
	PO Chanhouta, Bharmour		27-03-2024	Aggre.	5.00	25605
				Sand	3.50	18543
4	M/S Rajinder Kumar	PMAAGY	13 & 14	Sand	7.00	37086
	VPO Chanhouta, Bharmour		27-12-2023	Aggre.	5.10	26117
				Stone	11.74	19958
5	M/S Rajinder Kumar	MGREGA	77-80,89	Stone	63.50	114300
	VPO Chanhouta, Bharmour		22-05-2022			
6	M/S Jonda Ram	MGREGA	81-88	Stone	100.01	170170
	VPO Chanhouta, Bharmour		22-05-2022			
7	M/S Jonda Ram	MGREGA	90-99	Stone	102.62	174454
	VPO Chanhouta, Bharmour		22-05-2022			
8	M/S Jonda Ram	MGREGA	101-103	Stone	16.09	27353
	VPO Chanhouta, Bharmour		22-05-2022			
9	M/S Jonda Ram	MGREGA	NIL	Stone	29.66	53388
	VPO Chanhouta, Bharmour		28-02-2024			
10	M/S Kartar Singh	VKVNY	07 & 09	Stone	17.39	30607
	PO Chanhouta, Bharmour	LADA	06-07-2023	Sand	6.57	34815
				Aggre.	4.21	21559
11	M/S Kartar Singh	15th FC	08/	Sand	6.34	33602
	PO Chanhouta, Bharmour		03-02-2023	Aggre.	12.67	60816
					TOTAL	984548

सचिव
ग्राम पंचायत चन्होता
विकास खण्ड भरमौर
जिला चम्बा (हि.प्र.)

परिशिष्ट "4" पैरा संख्या 8.2 व 8.3 में सन्दर्भित

DETAIL OF VENDER/SUPPLIER IN R/O GP CHANHOUTA FROM WHICH PURCHASE WITHOUT "X,W" FORM & NEITHER ROYALITY DEDUCTED & PROBABALE LOSS OF GST 01-04-2022 TO 31-03-2024

SR. NO.	NAME OF VENDER/ SUPPLIER	GRANTS/ HEAD	VOUCHER/ DATE	NAME OF MATERIAL	QTY. M3	QTY. TONNE	AMOUNT PAID	RATE OF ROYALITY	ROYLITY NOT PAID	AMOUNT TO BE PAID	GST PAID ON BILL
1	M/S Kartar Singh	15th FC	08/	Sand	6.34	10.14	33602	80	811.52	32001.90	1600.10
	PO Chanhouta, Bharmour		03-02-2023	Aggre.	12.67	24.58	60816	80	1966.38	57920.00	2896.00
2	M/S Manoj Kumar	15th FC	02 & 03	Sand	4.00	6.40	21192	80	512.00	20182.86	1009.14
	PO Chanhouta, Bharmour		13-09-2023	Stone	11.50	25.76	19550	80	2060.80	18619.05	930.95
				Aggre.	6.50	12.61	33287	80	1008.80	31701.90	1585.10
3	M/S Rajinder Kumar	15th FC	09/	Sand	4.50	7.20	23041	80	576.00	21943.81	1097.19
	VPO Chanhouta, Bharmour		22-09-2023	Aggre.	1.42	2.75	7271	80	220.38	6924.76	346.24
				Stone	5.70	12.77	9690	80	1021.44	9228.57	461.43
4	M/S Rajinder Kumar	15th FC	13/	Aggre.	8.49	16.47	43477	80	1317.65	41406.67	2070.33
	VPO Chanhouta, Bharmour		09-03-2024	Stone	9.76	21.87	16597	80	1749.53	15806.67	790.33
				Sand	4.24	6.78	22464	80	542.72	21394.29	1069.71
5	M/S Kartar Singh	14th FC	22/	Stone	21.87	48.99	35000	80	3919.10	33333.33	1666.67
	PO Garola, Bharmour,		23-03-2023					80	0.00	0.00	0.00
6	M/S Rajinder Kumar	PMAAGY	13 & 14	Sand	7.00	11.20	37086	80	896.00	35320.00	1766.00
	VPO Chanhouta, Bharmour		27-12-2023	Aggre.	5.10	9.89	26117	80	791.52	24873.33	1243.67
				Stone	11.74	26.30	19958	80	2103.81	19007.62	950.38
7	M/S Manoj Kumar	PMAAGY	15/	Stone	9.92	22.22	16864	80	1777.66	16060.95	803.05
	PO Chanhouta, Bharmour		27-03-2024	Aggre.	5.00	9.70	25605	80	776.00	24385.71	1219.29
				Sand	3.50	5.60	18543	80	448.00	17660.00	883.00
8	M/S Rajinder Kumar	MGREGA	77-80,89	Stone	63.50	142.24	114300	80	11379.20	108857.14	5442.86
	VPO Chanhouta, Bharmour		22-05-2022					80	0.00	0.00	0.00
9	M/S Jonda Ram	MGREGA	81-88	Stone	100.01	224.02	170170	80	17921.79	162066.67	8103.33
	VPO Chanhouta, Bharmour		22-05-2022					80	0.00	0.00	0.00
10	M/S Jonda Ram	MGREGA	90-99	Stone	102.62	229.87	174454	80	18389.50	166146.67	8307.33
	VPO Chanhouta, Bharmour		22-05-2022					80	0.00	0.00	0.00
11	M/S Jonda Ram	MGREGA	101-103	Stone	16.09	36.04	27353	80	2883.33	26050.48	1302.52
	VPO Chanhouta, Bharmour		22-05-2022					80	0.00	0.00	0.00
12	M/S Jonda Ram	MGREGA	NIL	Stone	29.66	66.44	53388	80	5315.07	50845.71	2542.29
	VPO Chanhouta, Bharmour		28-02-2024					80	0.00	0.00	0.00
13	M/S Kartar Singh	VKVNY	18 & 22	Stone	27.00	60.48	31200	80	4838.40	29714.29	1485.71
	PO Chanhouta, Bharmour	LADA	28-11-2022						0.00	0.00	0.00
14	M/S Manoj Kumar	LADA	26/	Stone	15.00	33.60	25500	80	2688.00	24285.71	1214.29
	PO Chanhouta, Bharmour		14-12-2023	Sand	1.90	3.04	9730	80	243.20	9266.67	463.33
				Aggre.	1.90	3.69	10052	80	294.88	9573.33	478.67
15	M/S Kartar Singh	VKVNY	07 & 09	Stone	17.39	38.95	30607	80	3116.29	29149.52	1457.48
	PO Chanhouta, Bharmour	LADA	06-07-2023	Sand	6.57	10.51	34815	80	840.96	33157.14	1657.86
				Aggre.	4.21	8.17	21559	80	653.39	20532.38	1026.62
						TOTAL	**1173288**	**2880**	**91063.34**	**1117417.1**	**55870.86**

Remarks:

1. All Figures are taken up to 2 Decimal
   Rate of Royalty is taken Rs60/80 per Tonne as Per Second Schedule of Deptt. Of Industry & Mining
   Conversion Factor
2. A. From Square Feet to Cubic Meter M3
   35.31 Sq.Ft. = 1 Cubic Meter (M^3) Common to all items Sand, Stone & Aggregate
3. B. From Cubic Meter (M^3) to Tonne
   One Cubic Meter (M^3) Sand 1.60
   One Cubic Meter (M^3) Aggregate M 1.94
   One Cubic Meter (M^3) Aggregate 1.46
   One Cubic Meter (M^3) Stone 2.24
4. All items Sand, Stone & Aggre. average weight are taken for conversion while cubic meter to tonne.
5. As per quatation terms and condition Rate are inclusive of all Taxes but it is not cleared wether it is paid or r

Jr. Auditor
H.P State Audit Department
Audit Circle Chamba

Annexure "5" Store/ stock No Joint Sign. Stock Entry Refer in Para no. 9.11 & 9.12

SR. NO.	NAME OF VENDER/ SUPPLIER	GRANTS/ HEAD	VOUCHER/ DATE	NAME OF MATERIAL	QTY. M3	AMOUNT PAID
1	M/S Manoj Kumar	15th FC	02 & 03	Sand	4.00	21192
	PO Chanhouta, Bharmour		13-09-2023	Stone	11.50	19550
				Aggre.	6.50	33287
2	M/S Manoj Kumar	LADA	26/	Stone	15.00	25500
	PO Chanhouta, Bharmour		14-12-2023	Sand	1.90	9730
				Aggre.	1.90	10052
3	M/S Manoj Kumar	PMAAGY	15/	Stone	9.92	16864
	PO Chanhouta, Bharmour		27-03-2024	Aggre.	5.00	25605
				Sand	3.50	18543
4	M/S Rajinder Kumar	PMAAGY	13 & 14	Sand	7.00	37086
	VPO Chanhouta, Bharmour		27-12-2023	Aggre.	5.10	26117
				Stone	11.74	19958
5	M/S Rajinder Kumar	MGREGA	77-80,89	Stone	63.50	114300
	VPO Chanhouta, Bharmour		22-05-2022			
6	M/S Jonda Ram	MGREGA	81-88	Stone	100.01	170170
	VPO Chanhouta, Bharmour		22-05-2022			
7	M/S Jonda Ram	MGREGA	90-99	Stone	102.62	174454
	VPO Chanhouta, Bharmour		22-05-2022			
8	M/S Jonda Ram	MGREGA	101-103	Stone	16.09	27353
	VPO Chanhouta, Bharmour		22-05-2022			
9	M/S Jonda Ram	MGREGA	NIL	Stone	29.66	53388
	VPO Chanhouta, Bharmour		28-02-2024			
10	M/S Kartar Singh	VKVNY	07 & 09	Stone	17.39	30607
	PO Chanhouta, Bharmour	LADA	06-07-2023	Sand	6.57	34815
				Aggre.	4.21	21559
11	M/S Kartar Singh	15th FC	08/	Sand	6.34	33602
	PO Chanhouta, Bharmour		03-02-2023	Aggre.	12.67	60816
					TOTAL	984548

सचिव
ग्राम पंचायत चन्हौता
विकास खण्ड भरमौर
जिला चम्बा (हि.प्र.)

परिशिष्ट "6" पैरा संख्या 7.2(क, ख) में सन्दर्भित

कार्यालय ग्राम पंचायत चन्हौता, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा (हि०प्र०)

1. सम्पत्ति कर (गृहकर)

वित्तीय-वर्ष	गत शेष	कुल परिवार	दर	वर्ष के दौरान मांग	कुल मांग	कुल वसूल राशी	वकाया राशी
2022-23	48920	441	20	8820	57740	3060	54680
2023-24	54680	449	20	8980	63660	0	63660

2. (क) विवाह पंजीकरण फीस 31-03-2024 वसूली गई परन्तु सरकारी राजकोष में जमा नहीं करवाई गई।

वित्तीय वर्ष	कुल पंजीकृत विवाह	APL Rate		राशि	BPL Rate		राशि	कुल राशि सामान्य व BPL
		Without LateFee	With LateFee		Without Late Fee	With LateFee		
2022-2023	14	11@200	-	2200	03@25	-	75	2275
2023-2024	12	08@200	-	1600	04@25	-	100	1700
कुल योग	**26**	**19@200**	-	**3800**	**07@25**	-	**175**	**3975**

नोट : पंचायत द्वारा विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली कर ली गई है परन्तु इसे पंचायत के निधि खाते में ही रखा गया है जबकि नियमानुसार इसे सरकारी राजकोष में जमा करवाया जाना अपेक्षित था।

2.(ख) विवाह पंजीकरण उपरान्त अपेक्षित शुल्क व बिलम्ब शुल्क की वसूली न करने की कारण हुई वित्तीय हानि

क्र०	नाम	विवाह की तिथि	विवाह पंजीकरण	अपेक्षित शुल्क	वसूला गया शुल्क	कम वसूली
1.	Sh. Pankaj Bhatt	10-05-2022	11-06-2022	400	0	400
2.	Sh. Anand Kishore	10-05-2022	11-06-2022	400	200	200
3.	Sh. Surjeet Singh	20-06-2022	12-08-2022	400	200	200
4.	Sh. Surinder Kumar	11-05-2023	24-07-2023	400	200	200
5.	Sh. Ankaj Kumar	23-09-2023	23-10-2023	400	200	200
6.	Sh. Hans Raj	01-11-2023	01-12-2023	400	200	200
7.	Sh. ~~Anikhat~~ Anukhil	16-01-2024	15-02-2024	400	200	200
			TOTAL	**2800**	**1200**	**1600**

सचिव
ग्राम पंचायत चन्हौता
विकास खण्ड भरमौर
जिला चम्बा (हि.प्र.)

परिशिष्ट "7" पैरा संख्या 8.4 में सन्दर्भित

Statement Showing Detail of Payment TDS Not Deducted in r/o Gram Panchayat Chanhouta, Chamba

SR. NO	VOUCHER NO./DATE	NAME OF FUND	PARTICULAR/ DETAIL OF PARTY	DISCRIPTION OF ITEM	AMOUNT	TDS @2 %	Remarks
1	2-5/06-04-2022	14TH FC	M/S Ravinder Kumar PVC Work,Bharmour, Chamba	PVC Work With Labour 1395.34 Sqf@215	163000.00	3260.00	IT Act Section 194C
2	16-18/23-09-22	14TH FC	Do		137000.00	2740.00	IT Act Section 194C
				Total	300000.00	6000.00	

सचिव
ग्राम पंचायत चन्हौता
विकास खण्ड भरमौर
जिला चम्बा (हि.प्र.)

Refer in Para no. 9.10

Annexure "8" Payment made without Proper/Tax Bill in R/o GP Chanhouta, Chamba

SR. NO.	NAME OF VENDER/ SUPPLIER	GRANTS/ HEAD	VOUCHER/ DATE	NAME OF MATERIAL	QTY. M3	Rate	AMOUNT PAID	Remarks
1	M/S Manoj Kumar	15th FC	02 & 03	Sand	4.00	5298	21192	Performa Bill
	PO Chanhouta, Bharmour		13-09-2023	Stone	11.50	1700	19550	Do
				Aggre.	6.50	5121.1	33287	do
2	M/S Manoj Kumar	LADA	26/	Stone	15.00	1700	25500	do
	PO Chanhouta, Bharmour		14-12-2023	Sand	1.90	5121.1	9730	do
				Aggre.	1.90	5290.5	10052	do
3	M/S Rajinder Kumar	PMAAGY	13 & 14	Sand	7.00	5298	37086	Performa Bill
	VPO Chanhouta, Bharmour		27-12-2023	Aggre.	5.10	5121	26117	do
				Stone	11.74	1700	19958	do
4	M/S Rajinder Kumar	MGREGA	77-80,89	Stone	63.50	1800	114300	do
	VPO Chanhouta, Bharmour		22-05-2022					do
5	M/S Jonda Ram	MGREGA	81-88	Stone	100.01	1701.5	170170	Performa Bill
	VPO Chanhouta, Bharmour		22-05-2022					do
6	M/S Jonda Ram	MGREGA	90-99	Stone	102.62	1700	174454	do
	VPO Chanhouta, Bharmour		22-05-2022					do
7	M/S Jonda Ram	MGREGA	101-103	Stone	16.09	1700	27353	do
	VPO Chanhouta, Bharmour		22-05-2022					do
8	M/S Kartar Singh	VKVNY	07 & 09	Stone	17.39	1760	30607	Plain paper
	PO Chanhouta, Bharmour	LADA	06-07-2023	Sand	6.57	5299.1	34815	do
				Aggre.	4.21	5120.9	21559	do
9	M/S Kartar Singh	15th FC	08/	Sand	6.34	5300	33602	do
	PO Chanhouta, Bharmour		03-02-2023	Aggre.	12.67	4800	60816	do
						TOTAL	870148	

सचिव
ग्राम पंचायत चन्हौता
विकास खण्ड भरमौर
जिला चम्बा (हि.प्र.)

परिशिष्ट "9" पैरा संख्या 9.3 व 9.4 में सम्मिलित

Name of Work : Pucca Path at Luhni Head 15th FC MB No. 29981 Page 53-55

Material Consumption Statement for above Work

Item No. & Nomn	Quantity Executed as per MB	Qunitity Executed as per Audit	Con.of Cement	Sand	Agg.
3.P/L CC 1:3:6	13.48	8.68	59.31	6.34	12.67
Total material Consumed			59.31	6.34	12.67
Material Purchesed & Collected			65	6.34	12.67
Balance Quantity (Material Unutilised)			5.69	0.00	0.00
	Rate of material per unit		443	5300	4800
	Amount of Material Unutilised		**2519.784**	**23.32**	**-5.76**

Remrks MB Was not verified by JE as well no Materail consumption has shown in MB

B. CC Executed without Ground Dressing and Stone soiling

Item no. & Nomni CC Executed

3. P/L CC 1:3:6 1x15x1.10x0.075 = 1.24
1x15.50x1.30x0.075 = 1.46
1x10x1.10x0.075 = 0.82
1x15.50x1.10x0.075 = 1.28
= 4.80m3

CC Executed but no Corresponding entry of Stone Soiling and Ground Dressing found/Recorded in MB

3.P/L CC 1:3:6	1x10x1.20x0.075 = 0.90		4.80	4.80@ 432.95	
	A.Total Amount	Qty*rate		2078.16	2078.16
B.Less Contractor profit 15 % (2078.16x15/100 i.e 311.72) 2078.16-311.72					1766.44
C.Add Labour Enhancemnet 337% on 1766.44 ie 5952.90					5952.9
Total Amount Overpayment (B+C)					**₹7,719.34**

MB was not verified by JE and no consumption statement was Shown in MB

C. Item No 4, 5, 6, 7 & 8 as recoreded in MB was not in Estimate in above work neither any Sanction was taken From Competent authority for executed Extra items in said Work. So justify this with Cogent reasons

D.As in item no. 6 and 8 Carrige of stone was recorded in MB by Manual Labour was no lead was Shown So said item Can't varify in audit.

सचिव
ग्राम पंचायत चन्हौता
विकास खण्ड भरमौर
जिला चम्बा (हि.प्र.)